न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 413/2012 जीसीएमएस संख्या 2012/00194

1. रामदयाल पुत्र श्री नहना जाति जाट उम्र 62 साल निवासी ग्राम मिर्जापुर सब तहसील मालाखेड़ा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान हाल बन्दी जिला कारागृह, अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति किस्तुरी देवी पत्नि शिव लाल जाट निवासी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।(मृतक दौराने अपील)
   1/1 पन्सराम स्व0 पुत्र शिवलाल
   1/2 श्याम पुत्री स्व0 श्री शिवलाल
   1/3 मन्ना पुत्रीस्व0 श्री शिवलाल
   1/4 आशा पुत्रीस्व0 श्री शिवलाल

—रेस्पोडेन्टस्

अपील विरुद्व नायब तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेड़ा जिला अलवर दिनांक 01/09/2010

उपस्थित—

1. श्री विजय कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक—13.08.2024

1. यह अपील नायब तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

2. नायब तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2010 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई। रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि श्रीमति किस्तुरी देवी रेस्पाडेन्ट ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पर दिनांक 20/1/2009 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि जो प्रार्थना पत्र कार्यालय क्रमांक 1194 दिनांक 27/11/2009 को नायब तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेड़ा को प्राप्त हुआ । जिसमे श्रीमति किस्तुरी व अपनी पुत्री भगवानी पत्नि लल्लू उर्फ महादेवा जाट निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील अलवर की आराजी खसरा नम्बरान 565,566,584,585,564,586 समभाग 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बरान 907 भाग 57/73, 906,249 समान, खसरा नम्बर 253 का 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 25

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सालिम, खसरा नम्बरान 59,161,162,63,158,160 का 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 395 का 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 416,417,434,415 का 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बर 639,653,535 का 1/6 हिस्सा, खसरा नं. 567,568,534,583 का 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बरान 164,165,166,167,168,169,170,171 का 1/2 हिस्सा, 587,588,637,638,652,536 का 1/6 हिस्सा कुल रकबा 469.5 ऐयर वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील अलवर जिला अलवर अपने नाम इंतकाल विरासत खोले जाने की प्रार्थना की जिसमे भगवानी बेवाह लल्लू उर्फ महादेवा जातिजाट के कोई सन्तान नही है। इनके पति लल्लू उर्फ महादेवा पुत्र नहना की मृत्यु पूर्व मे होचुकी है । भगवानी के पिता शिवलाल जाट की मृत्यु हो चुकी है । भगवानी बेवाह लल्लू उर्फ महादेवा की मृत्यु दिनांक 16/8/2009 को हो चुकी है। जिसकी हत्या का गलत आरोप मिन अपीलार्थी पर लगाया जाकर प्रथम सूचना संख्या 269/09 थाना मालाखेड़ा मे दर्ज कराई गई । जिसमे मिन अपीलार्थी हाल बन्दी जिला कारागृह अलवर चला आ रहा है । जिस प्रार्थना पत्र का गलत प्रकार से अधिनस्थ अदालत द्वारा निर्णय दिनांक 01/9/2010 को रेस्पाडेन्ट के हक मे सादिर फरमाते हुए मृतक भगवानी का वर्णित आराजीयात का विरासत इंतकाल रेस्पाडेन्टा के हक मे दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाये गये ।

मृतक श्रीमति भगवानी की रेस्पाडेन्टा किस्तुरी मां हैं और प्रश्नगत आराजी अपीलार्थी के पिता नहना तथा उनके दादा घीसा की बुजुर्गानी है तथा अपीलार्थी ने इस आराजी के सम्बन्ध मे लल्लू उर्फ महादेवा के विरूद्ध दावा सन 2002 मे उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पर पेश किया हुआ है। जो कालान्तर मे सहायक जिलाधीश, अलवर के यहां पर विचाराधीन है । जिसमें स्थगन आदेश जारी है । जिस तथ्य की जानकारी अधिनस्थ अदालत को बखूबी है और रेस्पाडेन्टा को भी उक्त स्थगन आदेश की जानकारी बखूबी है। न्यायालय सहायक जिलाधीश, अलवर के विचाराधीन प्रकरण मे किस्तुरी रेस्पाडेन्टा द्वारा पक्षकार बनने की दरख्वास्त आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पेश कीगई । जिसके विरूद्ध निगरानी अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे की हुई है । अंकित पुत्र अमृतपाल जाट द्वारा फर्जी वसीयत बनाई । उस सम्बन्ध मे सक्षम सिविल न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड संख्या 2, अलवर के यहां पर वाद पेश किया हुआ है । जिसमे सुनवाई की तारीख 06.09.10 नियत है । अंकित व रेस्पाडेन्टा किस्तुरी आपस मे साज बाज है। अधिनस्थ अदालत द्वारा अपीलार्थी को गलत तरीकेसे अयोग्य माना है । विवादित आराजी मे अपीलार्थी की रिहायश है । पक्के मकानात बने हुए है । विवादित आराजी से मृतक लल्लू उर्फ महादेवा व मु० भगवानी बेवाह लल्लू का कोई वास्ता वो सरोकार नही था । मृतक लल्लू उर्फ महादेवा को प्रश्नगत आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार की वसीयत लिखने का भी कोई कानूनी अधिकार हासिल नही थां । क्योकि लल्लू उर्फ महादेवा अपने चाचा इन्दर के गोद चलागया था। जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है ।ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा निर्णय दिनांक 01.09.2010 निरस्त किया जावे।

5. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किहमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि किस्तूरी देवी पत्नी शिवलाल जाट ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत करवाके ग्राम मिर्जापुर तहसील अलवर जिला अलवर में स्थित उक्त विवादित आराजी का इंतकाल अपने नाम खुलवाये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी अलवर के पत्रांक से नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा इंतकाल किस्तूरी देवी पत्नी शिवलाल जाट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। सजरा खानदान का अवलोकन करने पर उक्त आराजीयात अपीलार्थी के पिता नहना तथा उसके दादा घीसा की बुजुर्गानी है। घीसा के दो पुत्र नहना एवं इन्दर हुये जिसमें इन्दर नाऔलाद फौत हुआ। नहना के दो पुत्र रामदयाल एवं लल्लू उर्फ महादेवा हुये। महादेवा व उसकी पत्नि भगवानी नाऔलाद फौत हुये एवं उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात के संबंध में विवाद है। किस्तूरी देवी मृतक भगवानी बेवा लल्लू उर्फ महादेवा की माँ है। भगवानी देवी के पिता शिवलाल जाट की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त आराजीयात के सबंध में राजस्व वाद भी सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन था जिसके उपरान्त भी नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई। मृतक खातेदार की विरासत का नामान्तरकरण विधिक वारिसान् के नाम ही खोला जाना चाहिए था। उक्त आराजीयात अपीलार्थी की पैतृक भूमि है एवं अपीलार्थी लल्लू उर्फ महादेवा का भाई है एवं कानूनन प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा का निर्णय दिनांक 01.09.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर